



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

रा.प्र.नि.म./क्षे.का.(भरतपुर)/बी.टी.पी.-2375/ 2074

दिनांक :- 12/01/2023

मैसर्स नीरज कुमार सिंह,
खनन पट्टा संख्या 08/2018,
निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

विषय : दिनांक 21.02.2023 को आयोजित की जाने वाली पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई बाबत।

सन्दर्भ : कार्यालय जिला कलकटर, भरतपुर के पत्रांक राजस्व/12/11()/2022/112 दिनांक 11.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मैसर्स नीरज कुमार सिंह, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 08/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत् जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 को 01:45 PM से 02:30 PM तक, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर में आयोजित की जानी है।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न प्रारूप में जन सुनवाई हेतु “आम सूचना” एक मुख्य दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 20.01.2023 से पूर्व प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्तावित लोक सुनवाई वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अधीन रहेगी तथा सभी पूर्वावधान/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

sd

(विवेक गोयल)

क्षेत्रीय अधिकारी

रा.प्र.नि.म., भरतपुर

प्रतिलिपि :- पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट ड्राफ्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार (Hindi & English) सहित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :-

1. कार्यालय जिला कलकटर, भरतपुर।
2. शाखा प्रभारी (खनन) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, 04-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
4. कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर।
5. कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, पहाड़ी, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
6. कार्यालय पंचायत समिति, पहाड़ी, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
7. कार्यालय तहसीलदार, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
8. कार्यालय, ग्राम पंचायत - छपरा/गंगोरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
9. ए.सी.पी., राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि इसे वेब साइट पर दर्शाने का श्रम करवायें।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., भरतपुर



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल
जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

रा.प्र.नि.मं./क्षे.का.(भरतपुर)/बी.टी.पी.-2375/2024

दिनांक :- 12/01/2023

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्रावधान के अनुसार मैसर्स नीरज कुमार सिंह, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंक्ड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 08/2018, क्षेत्रफल 1.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,13,360 (ROM) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 42.00 हैक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 42 खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

उपर्युक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है अतः समस्त सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 21.02.2023 को 01:45 PM से 02:30 PM तक, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर में उपस्थित होकर सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, भरतपुर (e-mail - rorpcb.bharatpur@gmail.com) अथवा मुख्यालय, 04 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

उक्त परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (ई.आई.ए.रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, जिन्दल हॉस्पीटल के पीछे, भरतपुर
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, 04-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
5. कार्यालय खनि अधिकारी, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर।
6. कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, पहाड़ी, जिला भरतपुर।
7. कार्यालय पंचायत समिति, पहाड़ी, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
8. कार्यालय तहसीलदार, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
9. कार्यालय, ग्राम पंचायत - छपरा/गंगोरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।

प्रस्तावित लोक सुनवाई वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार, द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अधीन रहेगी तथा सभी पूर्वावधान/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(विवेक गोयल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं. भरतपुर